सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 04, मंगलवार, *शाके* 1946-जून 25, 2024 *Asadha 04, Tuesday , Saka 1946- June 25, 2024*	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो ,परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी ,विज्ञप्तियां आदि।

नगर नियोजन विभाग

कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक अजमेर जोन

अधिसूचना

अजमेर, जून 25, 2024

संख्या एजेजेड/1120/एमपी/देवली/24/ :-सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 5 की उपधारा (1) एवं राजस्थान नगर सुधार न्यास (साधारण) नियम, 1962 के नियम 3 के अन्तर्गत देवली (जिला टोंक) के नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान-2045 (प्रारूप) तैयार कर जनता से आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु प्रकाशित किया जा रहा है। इस प्रारूप मास्टर प्लान के नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित है।

क्र.सं.	राजस्व ग्राम का नाम	
	हिन्दी	अंग्रेजी
(अ)	जिला-टोंक	**DISTRICT- TONK**
1.	देवली गांव	DEOLI GAON
2.	अम्बापुरा	AMBAPURA
3.	माधोसिंहपुरा	MADHOSINGHPURA
(ब)	जिला-भीलवाडा	**DISTRICT- BHILWARA**
1.	कुंचनवाडा कलां	KUNCHALWARA KALAN
2.	हनुमाननगर	HANUMAN NAGAR
3.	ऊंचा	UNCHA
4.	अम्बेडकर कोलोनी	AMBEDKAR COLONY

देवली मास्टर प्लान के इस प्रारूप के संबंध में राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से दिनांक 25.06.2024 से 24.07.2024 तक (30 दिवस) की समयावधि में कोई भी व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि द्वारा नगर पालिका, देवली (जिला टोंक) अथवा वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर एवं कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर में अपनी आपत्तियां एवं सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त मास्टर प्लान के प्रारूप को उपरोक्त समयावधि में किसी भी दिन कार्यालय समय में कार्यालय नगर पालिका, देवली में देखा जा सकता है। मास्टर प्लान के इस प्रारूप से संबंधित पुस्तिका मय

मानचित्र, नगर नियोजन विभाग की वेबसाईट पर भी उपलब्ध है तथा कार्यालय नगर पालिका, देवली (जिला टोंक) से सशुल्क क्रय की जा सकती है।

मुकेश मित्तल,

अति.मुख्य नगर नियोजक,

अजमेर जोन, अजमेर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।